BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : नसीरपुर   परगना : (शादियाबाद)   तहसील : जखनियाँ   जनपद : गाजीपुर   फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)   भाग : 1   खाता संख्या : 00648

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 2 / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।				
निर्मल / झम्मन / सलेमपुर	682मि0	0.1900		
योग	1	0.1900		

[illegible] की प्रवि ति (भूखंड (गाटा) के बाद प्र[illegible] [illegible] खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: [illegible] अवलोकनार्थ है, [illegible] सी.एस.सी/लोक [illegible] की प्रति [illegible] सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Digital India

कम्प्यूटर कक्ष तहसील जखनियाँ, गाजीपुर

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : नसीरपुर   परगना : (शादियाबाद)   तहसील : जखनियाँ   जनपद : गाजीपुर   फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)   भाग : 1   खाता संख्या : 00238

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।				
निर्मल / झम्मन / सलेमपुर	668	0.6350		
योग	1	0.6350		

प्रबन्धक/अ० प्र०
निर्मल मूलवानी एजूकेशनल एण्ड
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर
गाजीपुर (300..)

कम्प्यूटर कक्ष ... तहसील जखनियाँ, गाजीपुर

NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE
Digital India

नजरी नक्शा।

निर्मल मूलचानी फार्मेसी कालेज नसीरपुर हंसराजपुर गाजी

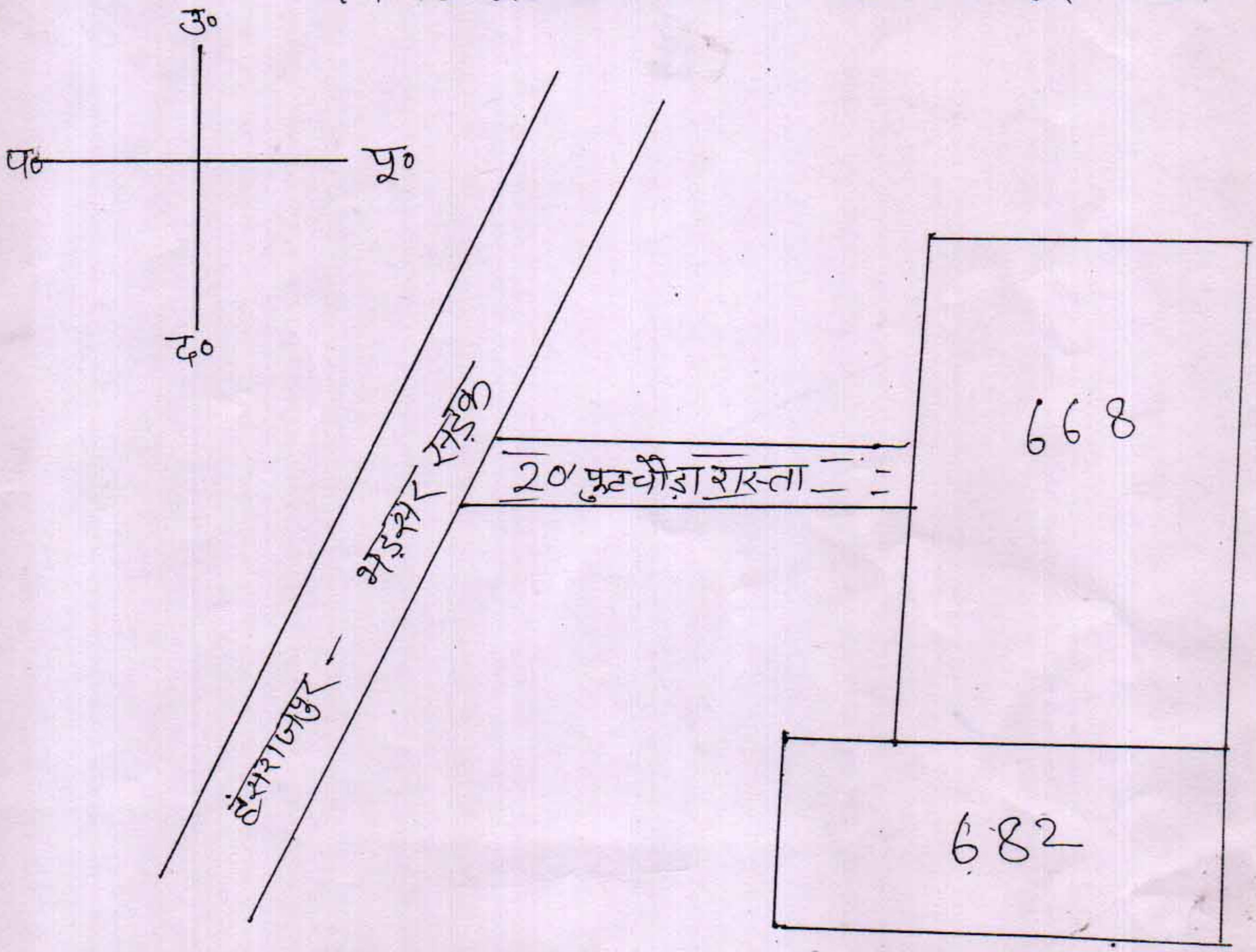

सुरेन्द्र यादव

प्रबन्धक/अध्यक्ष

निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड

वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर

गाजीपुर (उ0प्र0)

नजरी नक्शा

निर्मल मूलचानी फार्मेसी कालेज नसीरपुर

हंसराजपुर गाजीपुर

ग्राम - नसीरपुर, परगना - शादियाबाद

जिला - गाजीपुर

आ० न० - ६६८, ६८२

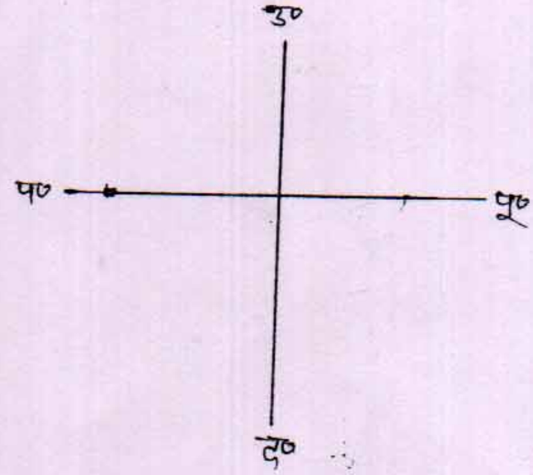

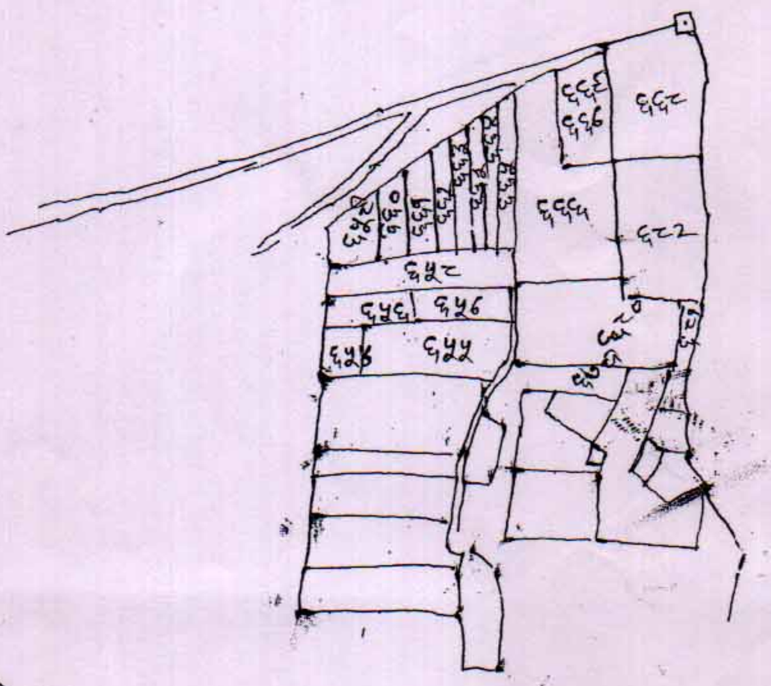

हा० लो० - [illegible]

क्षे० - [illegible]

2-7-22

चौहद्दी

उत्तर - सरहद

दक्षिण - खेत - निर्मल

पूरब - सरहद

पश्चिम - खेत - भैरवा बिहारी आदि

प्रबन्धक/अध्यक्ष

निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड

वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर

गाजीपुर (उ0प्र0)

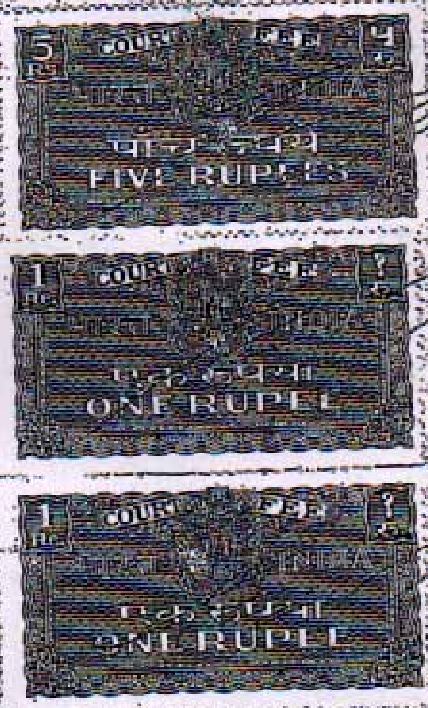

4/73

केवल नकल की फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस लिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने [illegible] अधिकारी का हस्ता
25-06-22	28-06-22	28-06-22	

सुरेन्द्र यादव
प्रबन्धक/अध्यक्ष
निर्मल [illegible] एजुकेशनल [illegible]
[illegible] सलेमपुर बाड़ि॰
गाजीपुर (उ॰प्र॰)

न्यायालय उप जिलाधकारी तहसील–जखनियाँ, जनपद–गाजीपुर

वाद संख्या–30 / 18–12–2021 धारा–143 ज0 वि0 अधि0

मौजा–नसीरपुर परगना–शादियाबाद

निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

बनाम

सुरेन्द्र यादव

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री निर्मल यादव, निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम–सलेमपुर, पोस्ट–वाजीदपुर, तहसील–जखनिया, जनपद–गाजीपुर द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मौजा–नसीरपुर, में स्थित भूमि गाटा संख्या–668मि0 रकबा–0.6350 हे0, 682मि0 रकबा–0.1750 हे0, 8100.00 वर्गमीटर भूमि अकृषित भूमि है, जो दो गाटों में स्थित है। जो परस्पर आपस में सटे हैं। धारा–143 के अन्तर्गत इसे अकृषित घोषित किया जाय। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि विद्यालय के प्रयोग में लायी जा रही है। इस लिए तफतील आराजी को आबादी दर्ज करना न्यायोचित होगा। अन्त में निवेदन किया है कि नियम 135 के तहत मसतहत अधिकारियों से आख्या तलब कर तफतील आराजी को आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में दिनांक 16–12–2021 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसील–जखनियाँ से जाँच आख्या देने हेतु उ0 न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि जारी किया गया। जो राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी आख्या पर लेखपाल दिनांक 20–12–2021 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भू–लेख नियमावली की धारा–135(1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी कि संख्या–668मि0 रकबा–0.6350 हे0, 682मि0 रकबा–0.1750 हे0, 8100.00 वर्गमीटर कागजात में निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम–सलेमपुर, पोस्ट–वाजीदपुर, तहसील–जखनिया, जनपद–गाजीपुर प्रबन्धक सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री निर्मल यादव के बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जो खाता खतौनी में अंकित है। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त रकबे में निर्मल मूलचानी फार्मेसी कालेज, स्थित है जिसे आख्या श्रेणी 6(2) कायम किया जा सकता है। इस वाद में किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। मेरे द्वारा वाद व उसके अधिकार के तर्कों को सूना गया तथा पत्रावली पर तहसीलदार जखनियाँ की आख्या दिनांक 27–12–2021 का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी अकृषित प्रयोग में हो रही है। जिसे अकृषित घोषित किया जाना न्याय संगत है। भूलेख अधिनियम की धारा 135(1) के अन्तर्गत गैर कृषित भूमि के सम्बन्ध में विवरण हल्का लेखपाल / राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार जखनियाँ द्वारा देते हुए संस्तुति की गयी है।

सुरेन्द्र यादव

प्रबन्धक/अध्यक्ष

निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड

वेलफेयर ट्रस्ट स... वाजिदपुर

गाजीपुर

आदेश

अतः तहसीलदार जखनियाँ की आख्या दिनांक 27–12–2021 को स्वीकार करते हुए मौजा–नसीरपुर, में स्थित भूमि गाटा संख्या–668मि0 रकबा–0.6350 हे0, 682मि0 रकबा–0.1750 हे0, 8100.00 वर्गमीटर जो निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम–सलेमपुर, पोस्ट–वाजीदपुर, तहसील–जखनिया, जनपद–गाजीपुर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, को धारा–143 के अन्तर्गत अकृषित किया जाता है तथा उसे रूपया 9.93 के मालगुजारी में से मुक्त किया जाता है। परगना उक्त बरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्य–प्रतिलिपि

दिनांकः–

कार्यालय उप जिलाधिकारी जखनियाँ–गाजीपुर

27/06/22

(एस0डी0 सिंह)

उप जिलाधिकारी, जखनियाँ

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व घोषित।

दिनांकः–

कार्यालय उप जिलाधिकारी जखनियाँ–गाजीपुर

27/06/22

(एस0डी0 सिंह)

उप जिलाधिकारी, जखनियाँ

ATTESTED

28/06/2022

जिला स्टाम्प अधिकारी
गाजीपुर

प्रबन्धक/अध्यक्ष
निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर
गाजीपुर (उ0प्र0)